

की नियुक्ति/रद्द/निलम्बण/सेवा सम्बन्धित/दण्ड व्यवस्था अनुमत्य नहीं है, अर्थात्
निकलेंगे।

- 18] विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क ही छात्रों में वसूल किया जाय तब ही इन्हें
एवं समस्त अन्य किसी प्रो. एड. ऑफिस पर अनुसूचित कर में मदवार हारा लगे हुए
नियमित रूप से जमा करने के बाद ही नियमानुसार संकेचित मद में ही व्यय किया
जाय। के. ई. व्यय संकेत कार्डिन अनुमत्य नहीं है। विस्तारिय नियमों का कठोर
संयोजन अनुपालन नियमों का है।
- 9] विद्यार्थियों के सुव्यवस्थित होने पर विद्यार्थी एवं भौतिक संसाधनों की समुचित
व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- 10] विभाग द्वारा निर्धारित/स्वीकृत/पर्यवेक्षण/प्रमाणपत्रों ही संयोजित की जाय
जिला बेसिक शिक्षाधिकारी की पूर्ण अनुमति के बिना के. ई. अतिरिक्त अनु. प्र.
संयोजित न किया जाय। सामान्यतया के. ई. 1 से 5 तक एक अनु. प्र. अनुमत्य है।
विद्यार्थियों के अनुसार प्रो. एड. संकेत पर विद्यार्थी अथवा एक अनुमत्य है। विद्यार्थी परि.
एवं भावनों में के. ई. अन्य अनुमत्य विद्यार्थी/स्व. अनु. प्र. कदापि संयोजित न किया
जाय।
- 12] विद्यार्थियों का निरीक्षण/अवेक्षण शिक्षार्थी विभाग के अधिकारियों द्वारा
कभी नहीं किया जा सकेगा और अधिकृत अधिकारियों/सुव्यवस्था अधिकारियों
की जा सकेगी।
- 13] संस्थाधिकारियों के विभागीय आदेश/निर्देश एवं विस्तारिय नियमों का
तत्परता से अनुपालन करना होगा।
- 14] अस्थायी मान्यता प्राप्त वार ता न वर्ष/शिक्षार्थी के लिए प्राप्त होने के
पश्चात् वर्तमान नियमानुसार संस्थाधिकारियों के आवेदन करने पर अस्थायी
मान्यता का नवीनीकरण एक 2 वर्षों के लिए प्रो. एड. के. ई. एक प्र. नवीनीकरण
किया जायेगा। इस अवधि में कुल पांच वर्षों में अस्थायी मान्यता न प्राप्त
होने पर मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 15] शिक्षार्थी/प्रो. एड. के. ई. शिक्षार्थी अधिकारिय एवं प्रो. एड. पर विभाग द्वारा
सिद्ध आदेश/निर्देश तब मान्यता से नवीनीकरण/शर्त का अनुपालन/अनु.
अनु. प्र. करनी संस्थाधिकारियों के लिए अनिवार्य होगा। मान्यता अनु. प्र. स.
शर्तों/प्रतिबंधों की पूर्ण के उपरान्त ही स्थायी मान्यता हेतु विद्यार्थी
उपयुक्त माना जायगा।

संलग्नक नवीन मान्यता प्राप्त विद्यार्थियों की सूची...
महर्षि विद्या मन्दिर प्रा. वि. योगीबीर अहिमाने...
द्वेपुर - सुल्तानपुर।

जिला बेसिक शिक्षाधिकारी
सुल्तानपुर

प्रतिनिधि संत जनक लीला निम्न लिखित के सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई
पृ. 0/अ. 0/मान्यता/प्र. 0/605-700/18 ता. दि. 18

- 1] शिक्षार्थी निदेशक बेसिक 0/0/0, लखनऊ
- 2] सचिव, 0/0/0 बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद
- 3] सहायक शिक्षार्थी निदेशक बेसिक नवम् गण्डल, फौजिबाद
- 4] उप/सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी प्रति उप विद्यार्थी निरीक्षण/अनु. प्र. शिक्षार्थी
अधिकारी जनाद सुल्तानपुर को इस निर्देश के साथ कि इस पत्र द्वारा मान्यता
प्राप्त विद्यार्थियों के मान्यता/अनु. प्र. मान्यता का शर्तों की पूर्ति करके विस्तारिय
प्रति अस्था एवं संस्तुति संकेत इस कार्यलय के 20-6-1998 के पूर्व अवश्य प्रस्तुत
किया जाय। इसके अतिरिक्त शेष अस्थायी मान्यता के नवीनीकरण के आवेदन
1971-98 हेतु 15-5-98 तक अवश्य इस कार्यलय के अध्यक्ष/संस्तुति संकेत उपलब्ध/प्र.
प्राप्त कराया जाय अन्यथा समस्त इन्फोर्मेशन संस्थाधिकारियों के लिये अति-
कारियों का होगा। इसके बाद आवेदन/प्रकरण प्रस्तुत नहीं होगा।
- 5] जिला समाज कल्याण अधिकारी सुल्तानपुर/अन्य संकेचित अधिकारी/कार्यकारी
संलग्नक-उक्तवत्

जिला बेसिक शिक्षाधिकारी
सुल्तानपुर

6055700/98599